

ज्ञारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं-म0नि0-IIउ0यो-10/2013-14/ 06 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 26.04.2016

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
 सरकार के विशेष सचिव।
 सेवा में,

महालेखाकार
 ज्ञारखण्ड, रॉची।

*अनौपचारिक रूप द्वारा:-

से परामर्शित विषय-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत मत्स्य प्रसार योजना (राज्य योजना) का कुल मो० 490.00 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख) रु० मात्र के अनुमानित लागत पर व्यय की स्वीकृति।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश सं0-06 दिनांक 14.05.2015 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 600 दिनांक 14.05.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 ४२३ दिनांक २६.०४.१६ के अनुसार राज्य योजनांतर्गत कुल मो० 490.00 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर मत्स्य प्रसार योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना अंतर्गत अधिकतम 1,74,000 सभी प्रकार के तालाबों का विशेष सर्वेक्षण कराकर डेटा-इण्टी का कार्य, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, बड़े जलकरों में जिनका जल सामान्यतः गंदा/ टर्बिंड हो गया हो, उनमें वायु श्वासी पंगेशियस अथवा अन्य मछली के बीज का संचयन, विभिन्न मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 10 पिक-अप वैन, निजी क्षेत्र में मांगुर, पंगेशियस, कवई आदि वायु श्वासी मछलियों के पालन के प्रोत्साहन हेतु बीज, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाइल रिचार्ज कूपन, 40000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी तथा 4150 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे।

2. राशि का व्यय मांग संख्या-53-मत्स्य मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत तीन लघु शीर्षों के निम्न मदों में प्राप्त बजट उपबन्ध के तहत किया जाएगा जिसके लिये समुचित योजना उद्द्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है -

क्रमांक	लघु शीर्ष - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष -20- मत्स्य प्रसार योजना का मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते 09. मानदेय 53P240500789200109	20.00



2	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59. अन्य व्यय 53P240500789200759	30.00
	योग :	50.00
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना का मद एवं विपत्र कोड		
1	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ता 09. मानदेय 53P240500796200109	70.00
2	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 21. प्रचार/प्रसार/सेमिनार 53P240500796200321	15.00
3	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59. अन्य व्यय 53P240500796200759	60.00
	योग :	145.00
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना का मद एवं विपत्र कोड		
1	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ता 09. मानदेय 53P240500101200109	115.00
2	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 21. प्रचार/प्रसार/सेमिनार 53P240500101200321	66.00
3	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59. अन्य व्यय 53P240500101200759	114.00
	योग :	295.00
	कुल योग :	490.00

मो0 चार करोड़ नब्बे लाख ८० मात्र ।

3. (क) राज्य में सभी प्रकार के तालाबों/जलकरों का सर्वेक्षण कराकर तथा उनका डाटा बेस तैयार करने हेतु कम्प्यूटर इंटी करायी जायेगी। 20 डी० से छोटे जलक्षेत्रों को सर्वेक्षण के दायरे में नहीं लाया जायगा। मत्स्य निदेशालय इसके लिए अलग से फॉर्मेट तथा दिशा-निर्देश निर्गत करेगा। प्राप्त ऑकड़ों को जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में कम्प्यूटरीकृत कराकर इसकी सीडी मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) तालाबों के सर्वेक्षण हेतु प्रति तालाब 50/-८० की दर से मत्स्य मित्रों/सर्वेक्षकों को मानदेय का भुगतान बैंक ड्राफट, डी०बी०टी० अथवा चेक के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायगा, जिस पर प्रति एकड़ बीस हजार ८० मात्र व्यय किये जायेंगे।

(घ) निजी क्षेत्र में वायु श्वासी मछलियों यथा देशी मांगुर, कवई, पोशियस इत्यादि के पालन के प्रोत्साहन हेतु इच्छुक मत्स्य कृषकों को अधिकतम् चार हजार बीज प्रति एकड़ जलक्षेत्र की दर से, अधिकतम् मूल्य परिवहन आदि सभी व्यय सहित मो0 2,000/-८० प्रति हजार बीज की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

(इ.) राज्य के वैसे कोई जलकर जो किसी कारण से टर्बिंड हो गये हैं अथवा जिनका पानी गंदा हो उनमें पोशियस पालन के प्रोत्साहन हेतु प्रति हेक्टर पाँच हजार बीज की दर से संचित किये जायेंगे। परिवहन आदि सभी व्यय सहित मो0 2,000/-८० प्रति हजार बीज का अधिकतम् मूल्य होगा।

उपर्युक्त कांडिका- (घ) एवं (इ) हेतु बीज के क्य के लिए जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित एवं निष्पादित की जायेगी।

०६/०४/१६
२६/०४/१६

(च) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी/डाटा इंट्री तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तालाबों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(छ) वैसे मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जो प्रतिवर्ष कम-से-कम 200 किंवद्दल मछली अथवा 50 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन करते हों तथा मछली एवं मछलियों के बीज का विपणन अथवा संचयन कार्य से जुड़े हों, को प्रोत्साहित करने हेतु पिक अप वैन क्य हेतु अधिकतम् मो 2.00 लाख रु० अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम हो, की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन देकर आवेदन प्राप्त करते हुए किया जाएगा एवं उनका चयन निदेशालय स्तर पर इस हेतु गठित समिति से कराया जायेगा।

(ज) राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 4150 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। तीन दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1225/-रु० की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 150/-रु० की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत् व्यय के रूप में 75/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम् प्रति प्रशिक्षणार्थी 550/- रु० अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला का आयोजन एवं इस पर व्यय मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची द्वारा किया जायेगा।

(झ) चयनित मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों से सीधा संवाद हेतु उनके द्वारा संसूचित मोबाईल नंबर पर अधिकतम् वर्ष में एक बार 500/-रु० प्रति का मोबाईल कूपन का रिचार्ज वाउचर की प्रतिपूर्ति की जायेगी। साथ ही इसका लाभ लेने वाले प्रत्येक मत्स्य मित्र/बीज उत्पादक से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके द्वारा बीज उत्पादन, संचयन एवं मत्स्य उत्पादन के संबंध में जानकारी संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय/मत्स्य निदेशालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी जो एक पंजी में संधारित किया जायेगा। मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों तथा किसानों से संवाद स्थापन हेतु विभागीय मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षकों को अधिकतम् 300/-रु० प्रति माह की दर से मोबाईल रिचार्ज हेतु राशि दी जायेगी। प्रत्येक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अपना मोबाईल नम्बर जिला मत्स्य कार्यालय एवं निदेशालय को संसूचित करेंगे।

(ज) पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु० प्रतिदिन प्रति मत्स्य पालक की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(ट) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 20,000/-रु० प्रति पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल के क्य हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में गठित समिति से कराया जायेगा।

4. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

Om *Dinesh*

५६
२६/०४/१६

5. निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की कार्यक्षमता तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की सत्यता की जाँचोपरांत ही उन्हें अनुदान पर गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर इस हेतु गठित समिति के समक्ष लाया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

6. मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा मत्स्य मित्रों को पुरस्कृत/ सम्मानित करने के पूर्व उनके द्वारा किये गये कार्यों की जॉच कराकर संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर पुरस्कार देने हेतु नामित किया जायेगा। चयनित लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखी जायेगी, जिसमें उनके आर्थिक एवं सामाजिक दशा में आई सुधार का वर्णन रहेगा।

7. परिशिष्ट- I, II एवं III पर जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न है।

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव के आदेश से आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित उदव्यय/बजट उपबंध के अंतर्गत है।

9. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संगत शीर्ष में उपबंधित राशि की अधिसीमा के अंतर्गत ही विभागीय स्तर से आवंटन आदेश निर्गत होगा।

(ख) राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/ विहित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या दुर्विनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(ग) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दूसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व संबंधित पदाधिकारी का होगा।

10. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), रॉची/ मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/गुमला/ लोहरदगा/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/दुमका/ साहेबगंज/ हजारीबाग/चतरा/बोकारो/धनबाद/गिरिडीह/गोड्डा/ पलामू/गढ़वा/देवघर एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार/पाकुड़/ सिमडेगा/सरायकेला/कोडरमा/खूंटी/रामगढ़ एवं जामताङ्गा होंगे। जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी I, II एवं III के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/विशेष सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के सर्वोच्च नियंत्रणाधीन कर्तव्य निर्वहन करेंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार सहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

86
26.04.16

X (mm)

14. वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायगा ।
15. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है ।
16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।
17. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रु0 मात्र में से वास्तविक व्यय 295.32 लाख (दो करोड़ पन्चानवे लाख बत्तीस हजार) रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है ।
18. यह योजना पूर्णतः राज्य योजना है ।
19. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव/प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 06 मत्स्य / रॉची , दिनांक २६.०५.२०१६

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी /निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) रॉची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 06 मत्स्य / रॉची , दिनांक २६.०५.२०१६

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना एवं लेखा प्रशासन)/उप मत्स्य निदेशक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 06 मत्स्य / रॉची , दिनांक २६.०५.२०१६

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना एवं वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची/ आ० वि० सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/विशेष सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-53-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-तथा शीर्ष-101-अन्तर्राष्ट्रीय मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलाबार भौतिक एवं वित्तीय तक्ष

विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय

क्र० स्थाना /
नामविस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक
भत्ते-21-प्रचार, प्रसार,

विस्तृत शीर्ष-07-जन्य अव्य-59-अव्य अव्य

कुल वित्तीय तक्ष (लाख में)

क्र० स्थाना / नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय											विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक भत्ते-21-प्रचार, प्रसार,												
	विभागीय तालिबों में मित्रों के द्वारा द्वारा					विभागीय तालिबों में मित्रों के भौतिक द्वारा					प्रचार प्रसार सेमिनार, डॉक्सांट्री, फोटोग्राफी आदि का वित्तीय तक्ष (लाख में)					मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों को दिवसीय दिवसीय को मोबाइल रिचार्ज कूपन का भौतिक वित्तीय तक्ष (लाख रु. में)					मत्स्य बीज मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों की पुरस्कार/पुरस्कार/ सम्मान का वित्तीय भौतिक वित्तीय तक्ष (सं.) (लाख रु. में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1 रांची	4000	2.00	5.0	2.50	1.0	2.00	10.00	1.00	1.70	0	0.00	90	0.00	100	0.50	1000	2.00	4	0.80	12.50				
2 झुंडी	2500	1.250	4.0	2.00	0.5	1.00	4.00	0.40	1.00	0	0.00	50	0.00	40	0.20	700	1.40	2	0.40	7.65				
3 गुमला	4000	2.000	4.0	2.00	2.0	4.00	6.00	0.60	1.70	0	0.00	90	0.00	150	0.75	1000	2.00	4	0.80	13.85				
4 सिंडेगा	3000	1.500	1.0	0.50	1.0	2.00	2.00	0.20	1.50	0	0.00	70	0.00	80	0.40	500	1.00	3	0.60	7.70				
5 लोहरदगा	2000	1.000	1.0	0.50	0.5	1.00	2.00	0.20	1.00	0	0.00	50	0.00	50	0.25	800	1.60	2	0.40	5.95				
6 लातेहार	3000	1.500	1.0	0.50	1.0	2.00	2.00	0.20	1.50	0	0.00	75	0.00	80	0.40	800	1.60	2	0.40	8.10				
7 पूर्वी सिंहभूम	4000	2.000	4.0	2.00	0.5	1.00	3.00	0.80	1.50	0	0.00	90	0.00	125	0.63	1000	2.00	3	0.60	10.53				
8 पूर्वी सिंहभूम	3500	1.750	1.0	0.50	0.5	1.00	4.00	0.40	1.60	0	0.00	90	0.00	125	0.63	1000	2.00	4	0.80	8.68				
9 सरायकोता	4000	2.000	1.0	0.50	1.0	2.00	4.00	0.40	1.70	1	2.00	100	0.00	130	0.65	500	1.00	4	0.80	11.05				
10 दुमका	3500	1.750	3.0	1.50	1.0	2.00	4.00	0.40	1.60	1	2.00	80	0.00	120	0.60	1000	2.00	4	0.80	12.65				
11 जामताड़ा	3000	1.500	3.0	1.50	1.0	2.00	4.00	0.40	1.50	0	0.00	85	0.00	100	0.50	1000	2.00	4	0.80	10.20				
12 साहेबांग	3000	1.500	1.0	0.50	1.0	2.00	2.00	0.20	1.50	0	0.00	85	0.00	150	0.75	1000	2.00	3	0.60	9.05				
13 पाकुड़	3500	1.750	3.0	1.50	1.0	2.00	2.00	0.20	1.60	0	0.00	80	0.00	140	0.70	1000	2.00	4	0.80	10.55				
14 हजारीबाग	3500	1.750	2.0	1.00	1.0	2.00	6.00	0.60	1.60	1	2.00	90	0.00	150	0.75	1000	2.00	5	1.10	11.40				
15 रामगढ़	2500	1.250	5.0	2.50	1.0	2.00	2.00	0.20	1.00	0	0.00	70	0.00	100	0.50	1000	2.00	4	0.80	12.55				
16 कोडरमा	3500	1.750	2.0	1.00	0.5	1.00	2.00	0.20	1.60	1	2.00	90	0.00	150	0.75	1000	2.00	4	0.80	10.55				
17 चत्तरा	3000	1.500	1.0	0.50	0.5	1.00	4.00	0.40	1.50	0	0.00	80	0.00	150	0.75	1200	2.40	3	0.60	8.65				
18 बोकारो	5000	2.500	1.0	0.50	1.0	2.00	6.00	0.60	2.00	0	0.00	85	0.00	150	0.75	1500	3.00	4	0.80	12.15				
19 गिरिडीर	3000	1.500	1.0	0.50	0.5	1.00	2.00	0.20	1.50	0	0.00	85	0.00	150	0.75	1500	3.00	3	0.60	9.05				
20 धनबाद	4500	2.250	1.0	0.50	0.5	1.00	4.00	0.40	1.90	0	0.00	100	0.00	200	1.00	1500	3.00	4	0.80	10.85				

१८/१०५

३०८

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-53-मुख्य शीर्ष-2405-नछनी पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलाबार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०

स्थाना /
नाम

विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक
सेमिनार

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय

कुल वित्तीय
लक्ष्य
(लाख में)

विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक सेमिनार		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय	
वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
मत्स्य भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (लाख में)	मत्स्य भौतिक लक्ष्य (हि0 में) (लाख में)	मत्स्य भौतिक लक्ष्य (हि0 में) (लाख में)	मत्स्य भौतिक लक्ष्य (हि0 में) (लाख में)	मत्स्य भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (लाख में)	मत्स्य भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
21 गोडां पलामू गढ़वा नेवधर मत्स्य की प्रगति सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 गढ़वा गढ़वा नेवधर मत्स्य की प्रगति सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 गढ़वा गढ़वा नेवधर मत्स्य की प्रगति सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 नेवधर मत्स्य की प्रगति सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 गोडां राँची सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 गोडां राँची सं0 मा0 अनु0 भैत्य निदेशालय	3000 2000 2000 5000 0 0 0 0 0	1.500 1.000 1.000 2.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.25 0.25 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.5 0.5 0.5 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 निदेशालय	0	0.000	0.0	0.00	0.000
कुल गोगा .	80000	40.00	50.00	25.00	20.00
नोट :- कागजिन राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।					

सरकार के विशेष सचिव

(पूजा सिघल)
१०/११

क्र.	स्थाना / विता का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं भत्ते-09-मानदेय										प्रशासनिक प्रसार, समिनार	व्य-21-प्रवार,	प्रशासनिक विस्तृत शीर्ष-07-जन्य व्यय-59-जन्य व्यय							
		मर्त्य मित्रों के द्वारा गतलाभों के सर्वे का लक्ष्य (सं0 में)	मर्त्य मित्रों के द्वारा गतलाभों के सर्वे का लक्ष्य (लाख में)	जल हेत्रों में गांग में विभागीय गतलाभों का पलन	निजी हेत्र में विभागीय गतलाभों का पलन	मिश्रित मर्त्य वयुषासी मछलियों का पलन	मिश्रित मर्त्य वयुषासी मछलियों का पलन	मर्त्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों को स्थों को वित्तीय भौतिक लक्ष्य (हि0 में)	मर्त्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों को स्थों को वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु में)	मर्त्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों को स्थों को वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु में)	प्रवार प्रसार समिनार, मेला, बुकलेट, डेटा इटी, तैयारी,फोटोग्राफी आदि का वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु में)										
1	रोची	4000	2.000	1.00	2.000	2.0	1.00	0.4	0.80	0.50	1	2.00	90	0.00	90	0.45	900	1.80	2	0.40	10.95
2	खेंटी	2500	1.250	0.00	0.000	0.0	0.00	0.3	0.60	0.20	0	0.00	50	0.00	50	0.25	500	1.00	2	0.40	3.70
3	गुमला	4000	2.000	0.50	1.000	3.0	1.50	1.0	2.00	0.50	0	0.00	90	0.00	90	0.45	900	1.80	2	0.40	9.65
4	सिमड़गा	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.5	1.00	0.20	0	0.00	60	0.00	60	0.30	500	1.00	2	0.40	4.40
5	लाहौरदारा	2000	1.000	1.00	2.000	0.0	0.00	0.5	1.00	0.20	0	0.00	50	0.00	50	0.25	500	1.00	2	0.40	5.85
6	लातेहर	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.2	0.40	0.20	0	0.00	120	0.00	120	0.60	400	0.80	1	0.20	3.70
7	ए० मिंगढ़म	4000	2.000	1.00	2.000	4.0	2.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	150	0.00	150	0.75	700	1.40	1	0.20	8.55
8	पूर्वी तिंहमूम	3500	1.750	0.00	0.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	90	0.00	90	0.45	600	1.20	1	0.20	3.80
9	सरापकेला	4000	2.000	0.00	0.000	0.0	0.00	0.2	0.40	0.50	1	2.00	100	0.00	100	0.50	400	0.80	1	0.20	6.40
10	झुमका	3500	1.750	0.00	0.000	2.0	1.00	0.0	0.00	0.50	1	2.00	100	0.00	100	0.50	500	1.00	1	0.20	6.95
11	जामताडा	3000	1.500	0.50	1.000	2.0	0.5	1.00	0.20	0	0.00	60	0.00	60	0.30	300	0.60	1	0.20	5.80	
12	साहेबगंज	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	45	0.00	45	0.23	200	0.40	1	0.20	2.53
13	पाकुड़	3500	1.750	0.00	0.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	60	0.00	60	0.30	200	0.40	1	0.20	2.85
14	हजारीबाग	3500	1.750	0.00	0.000	1.0	0.50	0.0	0.00	0.20	0	0.00	45	0.00	45	0.23	600	1.20	1	0.20	4.08
15	रामगढ़	2500	1.250	0.00	0.000	2.0	1.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	30	0.00	30	0.15	400	0.80	1	0.20	3.60
16	कोडरमा	3500	1.750	0.00	0.000	0.5	0.25	0.0	0.00	0.20	0	0.00	30	0.00	30	0.15	200	0.40	1	0.20	2.95
17	चत्तरा	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	30	0.00	30	0.15	200	0.40	1	0.20	2.45
18	बोकारो	5000	2.500	0.00	0.000	0.5	0.25	0.4	0.80	0.40	0	0.00	25	0.00	25	0.13	200	0.40	1	0.20	4.68
19	गिरि	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.0	0.00	0.20	0	0.00	30	0.00	30	0.15	200	0.40	1	0.20	2.45

क्र.	स्थाना / प्रेता का नाम	किस्त शीर्ष-01-बैतन एवं भत्ते-09-मानदेह	प्राप्ति-नक्ष	व्यष्टि-21-प्राचार, प्रसार, सेमिनार	प्राप्ति-नक्ष	व्यष्टि शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय																
मत्स्य मित्रों के द्वारा तातों के सर्वे का भौतिक लक्ष्य (सं. मे.)	मत्स्य मित्रों के द्वारा तातों के सर्वे का भौतिक लक्ष्य (लाख मे.)	जल क्षेत्रों में पांच मछली के बीज का संचयन	विभागीय तातों पालन	निर्जी क्षेत्र में वायुमारी मछलियों का पालन	प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, डॉक्यूमेंटरी,	मत्स्यबीवी मत्स्यबीवी सहयोग समितियों/सद सदस्यों को स्थानों को कार्यशाला कार्यशाला कृपन का कृपन का भौतिक लक्ष्य (सं. मे.)	बीज बीज सहयोग समितियों/सद स्थानों को स्थानों को कार्यशाला कार्यशाला कृपन का कृपन का भौतिक लक्ष्य (लाख रु मे.)	बीज बीज सहयोग समितियों/सद सदस्यों को स्थानों को कार्यशाला कार्यशाला कृपन का कृपन का भौतिक लक्ष्य (लाख रु मे.)	उत्पादकों का तीन मत्स्य मित्रों का भौतिक लक्ष्य बीज लक्ष्य (सं. मे.)	उत्पादकों का तीन मत्स्य मित्रों का भौतिक लक्ष्य बीज लक्ष्य (सं. मे.)	उत्पादकों/ मत्स्य की गोली का की गोली समान का वित्तीय भौतिक लक्ष्य (सं. मे.)	कृषकों/ गोली का की गोली पुरस्कार/ पुरस्कार/ समान का वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु मे.)	मत्स्य मत्स्य पुरस्कार/ पुरस्कार/ समान का वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु मे.)	मत्स्य मत्स्य पुरस्कार/ पुरस्कार/ समान का वित्तीय भौतिक लक्ष्य (लाख रु मे.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
20	धनबाद	4500	2.250	0.00	0.000	0.0	0.00	0.20	0	0.00	40	0.00	40	0.20	200	0.40	1	0.20	3.25			
21	गोड्डा	3000	1.500	0.00	0.000	0.0	0.00	0.20	0	0.00	60	0.00	60	0.30	200	0.40	1	0.20	2.60			
22	पटामु	2000	1.000	0.00	0.000	0.0	0.00	0.20	0	0.00	25	0.00	25	0.13	200	0.40	1	0.20	1.93			
23	गढ़वा	2000	1.000	0.00	0.000	0.0	0.00	0.20	0	0.00	25	0.00	25	0.13	200	0.40	1	0.20	1.93			
24	देवधर	5000	2.500	1.00	2.000	3.0	1.50	1.0	2.00	0.50	1	2.00	70	0.00	70	0.35	800	1.60	2	0.40	12.85	
25	मत्स्य निधि	0	0.000	0.00	0.000	0.0	0.00	1.50	0	0.00	0	18.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20.12			
26	प्र० के०	0	0.000	0.00	0.000	0.0	0.00	7.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.00			
कुल योग :		80000	40.00	5.00	10.00	20	10.00	5.00	10.00	15.00	4	8.00	1475	18.62	1475	7.38	10000	20.00	30	6.00	145.00	

नोट :- कणकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(पूजा सिघल)
सरकार के विशेष सचिव

क्रम स्थान / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते-09-मानदेय					विस्तृत शीर्ष-07-उन्नयन व्यय-59-उन्नयन व्यय											
	मत्स्य मिठों के द्वारा तालाबों के सर्वे का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य मिठों के द्वारा तालाबों के सर्वे का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	जल झोओं में निजी झोओं में वायु	बीज कीज का संचयन का पालन प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	बीज कीज का संचयन का पालन प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य जीवी मत्स्य मिठों का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य जीवी मत्स्य मिठों समितियों/सदस्यों की भौतिक लक्ष्य (लाख में)	बीज सहयोग समितियों/सदस्यों की भौतिक लक्ष्य (लाख में)	बीज सहयोग समितियों/सदस्यों की भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य उत्पादकों/मत्स्य मिठों का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य उत्पादकों/मत्स्य मिठों का भौतिक लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य कृषकों की गोद्धी का समान वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	मत्स्य कृषकों की गोद्धी का समान वित्तीय लक्ष्य (लाख में)	पुरस्कार / समान का वित्तीय लक्ष्य (लाख में)			
1 रोनी	750	0.375	0.50	1.000	0.20	0.400	60	0.300	1	2.00	60	0.00	400	0.80	1	0.20	5.08
2 बुर्टी	500	0.250	0.00	0.000	0.10	0.200	25	0.125	0	0.00	25	0.00	100	0.20	1	0.20	0.98
3 गुमला	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	30	0.150	0	0.00	30	0.00	300	0.60	1	0.20	1.73
4 रिमहेंगा	500	0.250	0.00	0.000	0.10	0.200	20	0.100	0	0.00	20	0.00	100	0.20	1	0.20	0.95
5 लोहरदगा	500	0.250	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	100	0.20	0	0.00	0.95
6 लतोहार	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	100	0.20	0	0.00	1.08
7 एफ सिंहभूम	750	0.375	0.00	0.000	0.10	0.200	20	0.100	0	0.00	20	0.00	300	0.60	1	0.20	1.48
8 पूर्णी सिंहभूम	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	200	0.40	1	0.20	1.48
9 सरायकेला	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	100	0.20	1	0.20	1.28
10 दुमका	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	200	0.40	1	0.20	1.48
11 चमतड़ा	500	0.250	0.20	0.400	0.10	0.200	30	0.150	0	0.00	30	0.00	100	0.20	1	0.20	1.40
12 सहेबगंज	500	0.250	0.20	0.400	0.20	0.400	25	0.125	0	0.00	25	0.00	100	0.20	1	0.20	1.58
13 पाकुड़	500	0.250	0.00	0.000	0.10	0.200	30	0.150	0	0.00	30	0.00	100	0.20	1	0.20	1.00
14 हजारीबाग	750	0.375	0.00	0.000	0.20	0.400	50	0.250	0	0.00	50	0.00	300	0.60	1	0.20	1.83
15 रामगढ़	500	0.250	0.50	1.000	0.10	0.200	20	0.100	0	0.00	20	0.00	200	0.40	1	0.20	2.15
16 कोडरमा	400	0.200	0.00	0.000	0.20	0.400	40	0.200	0	0.00	40	0.00	100	0.20	1	0.20	1.20
17 चतरा	400	0.200	0.00	0.000	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	100	0.20	1	0.20	1.10
18 बोकारो	400	0.200	0.20	0.400	0.20	0.400	20	0.100	0	0.00	20	0.00	300	0.60	0	0.00	1.70
19 फिरिडीह	500	0.250	0.00	0.000	0.20	0.400	25	0.125	0	0.00	25	0.00	300	0.60	1	0.20	1.58
20 धनबां	700	0.350	0.20	0.400	0.10	0.200	30	0.150	0	0.00	30	0.00	300	0.60	0	0.00	1.70

۲۳

नोट :- कणीकित राशि को आवर्तन नहीं समझा जाय।

सरकार के विशेष सचिव

(पूजा सिंहल)